113 न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्र0क0 2664/ [illegible] /2015

G. P. Nayak Adv.
श्री ___ द्वारा आज दि. 18-8-15 को प्रस्तुत

सुखराम पुत्र घनश्याम यादव,
ग्राम टीलादांत तहसील
मोहनगढ जिला टीकमगढ
-------आवेदक

विरूद्ध

पार्वती पुत्री सुन्नू यादव
निवासी ग्राम टीलादांत
तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़
---अनावेदिका

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 – म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 – अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 295/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–8–2013 के विरूद्व)

महोदय,

(निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण)

यह कि ग्राम टीलादॉत स्थित भूमि सर्वे कमांक 44 मिन रकबा 1.214 हैक्टर (आगे जो वादग्रस्त भूमि सम्बोधित है) के फर्जी व्यवस्थापन की प्रविष्टि वर्ष 1986 के खसरे में तत्कालीन पटवारी ने अनावेदिका के नाम से कर दी, जबकि ऐसा कोई आदेश राजस्व अधिकारी व्दारा नहीं दिया गया है। इस फर्जी प्रविष्टि को ठीक करने हेतु श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, जतारा ने प्रकरण कमांक 328/1988-89 दर्ज किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 28.9.1989 से भूमि पुनः मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये।

अनुविभागीय अधिकारी जतारा के आदेश दिनांक 28-9-19989 के विरूद्ध अनावेदिका ने लगभग 11 वर्ष के अंतराल में 29.9.2011 के वाद अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जो अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अधिकार न होते हुये अवधि-वाधित निगरानी स्वीकार करने की भूल की है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2664-दो/2015 जिला टीकमगढ़ सुखराम विरूद्ध पार्वती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री जी.पी. नायक उपस्थित। आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 295/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 22-08-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-08-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है। उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-[illegible] संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है। अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा। 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7 उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7.1.19
सदस्य